राज्य स्तरीय बैकर्स समिति, झारखण्ड
संयोजक: बैंक ऑफ इंडिया

पत्रांक संख्या: रा॰स्त॰बै॰स॰/2020-21/213 **दिनांक: 09.09.2020**

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति- झारखंड के समस्त सदस्य को पत्र

महोदय / महोदया,

विषय:- राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, झारखंड की जून त्रैमासिक 2020 हेतु समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त

कृपया राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, झारखंड के त्रैमासिक जून 2020 की समाप्त तिमाही हेतु आयोजित बैठक 14.08.2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

इस क्रम में उक्त बैठक का संसोधित कार्यवृत्त आपकी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न है हम आपको अवगत कराना चाहते हैं कि संलग्न कार्यवृत्त को राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति झारखंड की वेबसाइट (www.slbcjharkhand.org) पर अपलोड कर दिया गया है।

आपसे अनुरोध है कि कृपया विभिन्न कार्य बिंदुओं पर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए अद्यतन प्रगति हमें प्रेषित करने का कष्ट करें ताकि तदनुसार आगामी बैठक में इसका समावेशन किया जा सके।

भवदीय,

रविंद्र कुमार दास
महाप्रबंधक
राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, झारखंड

संगलन:- उपरोक्त अनुसार

राज्य स्तरीय बैकर्स समिति, झारखण्ड
संयोजक: बैंक ऑफ इंडिया
दिनांक : 14.08.2020
स्थान –NIC, नेपाल हाउस,रांची

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, झारखण्ड की 72 वीं त्रैमासिक बैठक का कार्यवृत
Minutes of the 72nd Quarterly Meeting of SLBC, JHARKHAND

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, झारखण्ड की 72वीं त्रैमासिक बैठक का आयोजन NIC, नेपाल हाउस, रांची से विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा दिनांक 14.08.2020 को किया गया। इस बैठक में वित्तीय सेवाए विभाग,भारत सरकार के संयुक्त सचिव श्री मदनेश मिश्रा, दिल्ली DFS ऑफिस से जुड़े हुए थे। भारतीय रिजर्व बैंक, राँची क्षेत्रीय कार्यालय के महा प्रबन्धक श्री संजीव दयाल, योजना सह वित्त विभाग, झारखंड सरकार की विशेष सचिव, श्रीमती दीप्ति जयराज, नाबार्ड राँची क्षेत्रीय कार्यालय के मुख्य प्रबन्धक श्री ए के पाढ़ी, एसएलबीसी,झारखंड के महाप्रबंधक श्री रबीन्द्र कुमार दास, बैंक ऑफ इंडिया (एनबीजी, झारखंड एवं छतीसगढ़) के महाप्रबंधक श्री राजेंद्र मान पाण्डेय एवं भारतीय रिजर्व बैंक के सहायक महाप्रबन्धक श्री राजेश रंजन तिवारी NIC Studio, नेपाल हाउस सभागार मे उंपस्थित थे | इसके अतिरिक्त, सभी बैंको के राज्य नियंत्रक , सभी जिलों से अग्रणी जिला प्रबन्धक एवं राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े थे |

बैठक की शुरुवात मे NIC Studio, Nepal House, राँची मे उपस्थित अतिथियों का स्वागत श्री रबीन्द्र कुमार दास के द्वारा किया गया।त्रैमासिक बैठक मे मंच का संचालन श्री विभव कुमार के द्वारा किया गया। श्री कुमार ने उपरोक्त बैठक के प्रारम्भ मे SLBC, महाप्रबंधक श्री रबीन्द्र कुमार दास को संबोधन के लिए आमंत्रित किया गया ।

श्री दास ने सभी सदस्यों का स्वागत करते हुए कहा कि देश मे कोरोना महामारी एवं लॉक डाऊन की स्थिति मे बैंककर्मी, पुलिस, चिकित्सा विभाग,मीडिया कर्मी तथा अन्य कोरोना वारियर्स के द्वारा किए गए अभूतपूर्व कार्यो की सराहना की। उन्होने इन सभी कोरोना वारियर्स के द्वारा समाज और देश के प्रति किए गए कार्यों हेतु आभार जताया| श्री दास ने राज्य तथा केंद्र के CSR फ़ंड मे कोरोना महामारी से लड़ने के लिए लोगों की मदद करने हेतु किए गए कार्यों के लिए सभी बैंकों की सराहना की |उन्होने राज्य सरकार को बैठक हेतु NIC, सभागार उपलब्ध कराने हेतु धन्यवाद दिया | साथ ही साथ वित्तीय वर्ष 2020-21 के प्रथम तिमाही में राज्य के सभी बैंकों के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों मे निर्धारित लक्ष्यों को पूर्ण करने के प्रयाशों की सराहना की,एवं सबका आभार प्रकट किया। राज्य के सभी अग्रणी ज़िला प्रबंधकों द्वारा वर्ष 2020-21 के प्रथम तिमाही में लक्ष्य प्राप्ति के किए गए प्रयासों की भी सराहना की| श्री दास ने बताया कि सभी बैंकों के समूहिक प्रयासों के कारण राज्य में Uncovered Villages की संख्या घटकर केवल आठ रह गई है तथा संबन्धित बैंकों द्वारा प्राप्त अद्यतन जानकारी के अनुसार सभी Uncovered Villages बैंकिंग touchpoints से कवर किया जा चुका है| इस उपलब्धि के लिए उन्होने सभी बैंकों को बधाई दी | गत तिमाही मे बैंको के कुल जमा, कृषि, MSME सेक्टर मे वृद्धि हुई है जिसके लिए समस्त बैंक,LDM एवं राज्य सरकार बधाई के पात्र हैं। श्री दास ने बताया कि राज्य में कोरोना महामारी एवं लॉक डाउन के दौरान पीएम गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत 76 लाख महिला लाभार्थियों को रु 500/- का भुगतान अप्रैल , मई एवं जून माह में बैंकों द्वारा किया गया, जिसमें सभी बैंकों ने सरहनीय कार्य किया| उन्होने बताया कि भारत सरकार द्वारा प्रायोजित आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत ECLGS, PM SVANidhi योजना में सभी बैंकों को सलाह दिया कि इन योजनाओ का लाभ

State Level Bankers' Committee BOI Jharkhand

सभी पात्र लोगों को तक पहुँचाने में अपना अहम सहयोग दे, ताकि वर्तमान परिस्थितियों में राज्य में व्यापार एवं उद्योगों को वापस पटरी पर लाया जा सके । कृषि मंत्रालय,भारत सरकार द्वारा प्रायोजित केसीसी Saturation ड्राइव की बात करते हुए बताया कि प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि योजना के सभी लाभार्थियों को किसान क्रेडिट कार्ड से जोड़ने हेतु बैंको को और अधिक कार्य करने की ज़रूरत है। KCC SATURATIO DRIVE के लिए चलाये जा रहे विशेष अभियान को सफल बनाने हेतु सभी बैंको,एलडीएम,कृषि विभाग इत्यादि को विशेष ध्यान देने की ज़रूरत बतायी। श्री दास ने बताया कि सभी बैंकों, एलडीएम,कृषि विभाग की यह जिम्मेवारी है कि केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित इस विशेष अभियान को सफल बनाएं । उन्होने बताया कि एसएलबीसी के प्रथम तिमाही रिपोर्ट के अनुसार राज्य मे प्राथमिकता क्षेत्र में उपलब्धि कुल ऋण का 60.36% है , जो 40% बेंचमार्क्स से अधिक है श्री दास ने सभी Stakeholders से अपील की एवं अन्य Key पारामीटर में भी इसीप्रकार लक्ष्य प्राप्त करने को कहा । श्री दास ने आगे कहा कि बैंकों के एनपीए रिकवरी हेतु राज्य सरकार से सर्टिफिकेट केस के मामले में विशेष सहयोग की अवश्यकता है । श्री दास ने बताया कि सभी बैंकों के सहयोग से सामाजिक सुरक्षा योजना (जैसे – पीएमजेजेबीवाई एवं पीएमएसबीवाई) तथा प्रधानमंत्री जन धन योजना के क्रियान्वयन में राष्ट्रीय स्तर पर सरहनीय कार्य किया है । इस उपलब्धि में सभी एलडीएम की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है । कई अन्य क्षेत्रों में भी अपेक्षाकृत राज्य का प्रदर्शन काफी बेहतर रहा है, एवं अन्य Key पारामीटर में भी लक्ष्य प्राप्त करना चाहिए । केंद्र सरकार, वित्त मंत्रलाय द्वारा चलाये जा रहे Emergency Credit Line Guarantee Scheme के अंतर्गत राज्य के MSME यूनिट को बैंकों के माध्यम से ऋण की सुविधा प्रदान किया जा रहा है । हालांकि कुछ क्षेत्र जैसे एग्रिकल्चर ऋण,रुपे कार्ड एक्टिवेशन, CD रैशियो मे सुधार, RSETI क्रेडीट Linkage, एनपीए रिकवरी मे विशेष ध्यान देने की ज़रूरत श्री दास ने पूर्वी सिहभूम के 100% digitisation के संबंध मे सभी बैंको,एलडीएम एवं अन्य स्टेक होल्डरों से आग्रह किया कि 31.10.2020 तक ज़िले को पूर्ण डिजिटल बनाने हेतु प्रयास करे।कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा चलाये जा रहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान-KCC Saturation ड्राइव का जिक्र करते हुए सभी बैंको के नियंत्रकों,LDMs तथा अन्य स्टेकहोल्डरों को राज्य के सभी Uncovered किसानों को केसीसी योजना का लाभ प्रदान करने हेतु चलाये जा रहे अभियान को सफल बनाने का आग्रह किया। उन्होने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा देश में डेयरी, फिशरी आदि क्षेत्रों से जुड़े किसानों को भी केसीसी देने का प्रावधान है जिसमे सभी स्टेकहोल्डरों को विशेष ध्यान देना चाहिए ।श्री दास ने राज्य सरकार द्वारा एनपीए रिकवरी के प्रयासों की सराहना करते हुए आगे भी सहयोग की अपेक्षा बतायी एवं लंबित SARFAESI,DRT,CERTIFICATE CASE के मामलों को जल्द निपटारे हेतु आग्रह किया।

इस सम्बोधन के पश्चात नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक श्री ए के पाढ़ी को त्रैमासिक सभा को संबोधित करने का आग्रह किया गया। श्री ए के पाढ़ी ने सम्बोधन के शुरुआत मे कहा कि कोविड महामारी के इस विकट परिस्थिति में भी एसएलबीसी द्वारा विभिन्न बैंकों से तय समय मे डाटा संग्रह कर रिपोर्ट तैयार करने तथा पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम के अनुसार त्रैमासिक बैठक का आयोजन ससमय करने हेतु एसएलबीसी को बधाई दिया । उन्होने प्रथम तिमाही की प्रगति की समीक्षा करते हुये कहा कि वित्तीय वर्ष 2020-21 की प्रथम तिमाही में पिछले वर्ष की तुलना में कुल ऋण में 27.16% गिरावट दर्ज की गई , जिसमें कृषि क्षेत्र में सबसे अधिक 50.18% की गिरावट आयी है, जो काफी चिंता का विषय है । उन्होने कहा कि वर्तमान स्थिति में, जब राज्य से बाहर रहने वाले मजदूर अपने गाँव में वापस आए है, तथा केसीसी Saturation-Drive चलाये जाने के बावजूद राज्य में कृषि ऋण में प्रगति नेगेटिव होने पर सभी बैंकों को इस विषय पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता बतायी। श्री पाढ़ी ने बताया कि JRGB द्वारा पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष कुल ऋण में 62% की वृद्धि दर्ज गई जबकि अन्य कमर्शियल बैंकों में इसी अंतराल में नेगेटिव ग्रोथ है । उन्होने सभी बैंकों को सलाह दी कि यदि RRB द्वारा यह परिणाम लाया जा सकता है तो अन्य बैंको को भी इस दिशा मे सामूहिक प्रयास करना चाहिए , विशेषत: कृषि ऋण के क्षेत्र में सभी बैंकों को काफी प्रयास करने की जरूरत है । उन्होने सभी बैंकों से कहा कि इस वित्तीय वर्ष के बाकी के तीन तिमाही में क्रेडिट ग्रोथ में सुधार करने हेतु प्रयास करें। श्री पाढ़ी ने राज्य के 5 लाख से अधिक केसीसी से वंचित पीएम कृषि सम्मान निधि योजना लाभूकों को केसीसी

State Level Bankers' Committee BOI Jharkhand

प्रदान करने हेतु केंद्र सरकार के ड्राइव की धीमी प्रगति पर चिंता प्रकट करते हुये बताया कि इस दिशा में सभी बैंकों को विशेष प्रयास करने की आवश्यकता है। उन्होने केंद्र सरकार की दुग्ध सहकारी केन्द्रो मे दुग्ध की आपूर्ति करने वाले किसानों एवं फिशरी फार्मर्स को किसान क्रेडिट कार्ड योजना से जोड़ने की योजना की धीमी प्रगति पर एसएलबीसी एवं एलडीएम को विशेष ध्यान देने की बात कही। श्री पाढ़ी ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत उचित संख्या में आवेदन सृजित होने बावजूद ऋण स्वीकृति नगण्य होना चिंतनीय है, जबकि एसएलबीसी की कृषि सब-कमेटी में इन आवेदनों को बैंक की शाखाओ मे आवेदन प्राप्ति के सात दिनों के अंदर निस्तारण करने को कहा गया था । उन्होने आगे कहा कि इस संबंध में एसएलबीसी एवं सभी स्टेक-होल्डेर्स के साथ बैठक करने की आवश्यकता है तथा इस योजना की क्रियान्वयन में आ रही दिक्कतों पर चर्चा कर उनका निस्तारण किया जा सके।

श्री ए. के. पाढ़ी ने बताया कि वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए, फसल ऋण, पशुपालन तथा मत्स्य पालन हेतु स्केल ऑफ फ़ाइनेंस तय किया जा चुका है एवं इसे राज्य के सभी स्टेक-होल्डेर्स को Share भी कर दिया गया है। उन्होने सचिव, कृषि विभाग से आग्रह किया कि उनके द्वारा राज्य में राज्य स्तर पर एक State Level Committee के गठन करने की आवश्यकता है , जो जिला स्तर पर DLTCs द्वारा तय Scale of Finance की समीक्षा करें। उन्होने कहा कि स्केल ऑफ फ़ाइनेंस की विषमता दूर करने के लिए जिला स्तर पर DLTC का गठन उपायुक्त महोदय की अध्यक्षता में किया जाना चाहिए, जिसमें जिलास्तर पर सभी संबधित विभागों के प्रमुख होते हैं। इस संदर्भ में, उन्होने राज्य स्तर पर SLTC एवं जिला स्तर पर DLTC के पुनर्गठन करने की बात कही, उन्होने स्केल ऑफ फ़ाइनेंस का फ़िक्सेशन करने की प्रक्रिया October से ही शुरू करने पर ज़ोर दिया ताकि अगले वित्तीय वर्ष की शुरुआत से पहले सभी प्रक्रिया पूर्ण की जा सके।

श्री पाढ़ी ने अपने सम्बोधन में बताया कि नाबार्ड द्वारा कृषि ऋण को बढ़ावा देने के लिए एरिया डेवलपमेंट स्कीम में बड़ा बदलाव किया गया है। पहले यह योजना केवल एक वर्ष के लिए तैयार किया जाता था, किन्तु अब यह योजना पाँच वर्ष के लिए तैयार किया जाएगा एवं इसके लिए नाबार्ड द्वारा 500 करोड़ का फ़ंड दिया जाना है। उन्होने बताया कि राज्य में कृषि भूमि के रिकॉर्ड ऑनलाइन नहीं होने के कारण बैंकों द्वारा किसानों को केसीसी योजना का लाभ देने में कठिनाई आ रही है अतः राज्य सरकार से अनुरोध किया गया कि अन्य राज्यों की भांति झारखंड में भी भू-रेकॉर्ड को अपडेट कर ऑनलाइन किया जाना चाहिए।

श्री पाढ़ी ने बताया कि राज्य में कृषि ऋण को बढ़ावा देने के लिए जेएलजी फ़ाइनेंस को बढ़ाने की आवश्यकता है। उन्होने बताया कि अन्य राज्य जेएलजी फ़ाइनेंस को काफी प्राथमिकता दे रहे है। इस योजना के अंतर्गत चार एवं पाँच किसान मिलकर एक जेएलजी ग्रुप बनाते है एवं बैंक द्वारा उनको क्रेडिट लिंकेज किया जाता है। इसके लिए Colleteral Security की आवश्यकता नहीं होती है। उन्होने बताया कि कुछ राज्यों ने इसमें बहुत अच्छा कार्य किया है एवं हमें इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ आंध्रा प्रदेश एवं उड़ीसा के मॉडल का अनुसरण किया जा सकता है। नाबार्ड, द्वारा जेएलजी Formation के लिए रु 2000/- का ग्रांट भी दिया जाता है।

श्री पाढ़ी ने बताया कि भारत सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र के लिए कुछ नई योजनाओ को शुरू की गयी है। पहला, एग्रिकल्चर इनफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी के लिए प्रधानमंत्री द्वारा एक लाख करोड़ का एग्रिकल्चर इनफ्रास्ट्रक्चर फ़ंड की घोषणा है। इस योजना के अंतर्गत ग्रुप एवं Individual को एग्रिकल्चर इनफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी हेतु 2 करोड़ तक के ऋण के लिए CGTMSE कवरेज उपलब्ध होगा एवं भारत सरकार द्वारा CGTMSE Fee का भुगतान किया जाएगा, साथ ही केंद्र सरकार द्वारा भी 2 करोड़ रुपये तक के ऋण हेतु 3% अतिरिक्त Interest Subvension दिया जाना है। इसके साथ ही उन्होने बताया कि प्राइमरी एग्रिकल्चरल सोसाइटी को मल्टीएक्टिविटी सोसाइटी में परिवर्तित करने के लिए नाबार्ड द्वारा एक स्कीम शुरू की जा रही है। इससे नाबार्ड द्वारा 3% ब्याज दर पर स्टेट को-ओपरेटिव बैंक एवं DCCB को री-फ़ाइनेंस उपलब्ध होगा, जिससे वे इनफ्रास्ट्रक्चर डेव्लपमेंट हेतु PACS को 4% ब्याज पर फ़ाइनेंस कर सकेंगे एवं PACS को केंद्र सरकार से 3% का भी Interest Subvention प्राप्त होगा।

श्री पाढ़ी ने अपने सम्बोधन में नाबार्ड द्वारा झारखंड में शुरू किए जा रहे विभिन्न योजनाओ की जानकारी दी- 1) वॉटर शेड प्रोजेक्ट , एवं 2) वाड़ी प्रोजेक्ट। उन्होने बताया कि राज्य में अभी 40 वॉटर शेड प्रोजेक्ट तथा 45 वाड़ी प्रोजेक्ट चल रही है। इसमें नाबार्ड द्वारा बैंकिंग प्लान शुरू किया जा रहा है , जिसकी जानकारी नाबार्ड द्वारा पहले ही सभी स्टेक-होल्डेर्स को दिया जा चुका है। अंत में, उन्होने बैंकों से आग्रह किया कि कोरोना महामारी की वर्तमान परिस्थिति को देखते हुये राज्य में बाहर से ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे इंडस्ट्रियल

State Level Bankers' Committee BOI Jharkhand

श्रमिकों को बैंकों द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत ऋण उपलब्ध कराने की जरूरत है, जिससे उन्हे अपने क्षेत्र में ही स्वरोजगार कर सके |

इस सम्बोधन के पश्चात श्री संजीव दयाल, भारतीय रिजर्व बैंक के महाप्रबंधक को संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया गया | उन्होने एसएलबीसी को दूसरी बार विडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा बैठक को तय समय पर आयोजित करने हेतु बधाई दी | उन्होने बताया कि कोरोना महामारी में विभिन्न सरकारी योजनायों का लाभ आम लोगों तक पहुँचाने में बैंकों द्वारा किए गए कार्यों की भी सराहना की | उन्होने बताया कि कोरोना महामारी की इस विषम परिस्थिति में बैंकों को और भी अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है | आम लोगों को इस परिस्थिति में बैंकों से काफी उम्मीदें है | श्री संजीव दयाल ने राज्य मे लगातार गिर रहे CD- Ratio एवं प्राथमिकता क्षेत्र मे ऋण के कुल बकाया में गिरावट का ज़िक्र करते हुए इस संबंध मे विशेष ध्यान देने को कहा | उन्होने कहा कि बैंकों के पास RSETI क्रेडिट Linkage, केसीसी एवं SHG के आवेदन पर्याप्त मात्र मे होने के बावजूद ऋण वितरण की स्थिति अच्छी नहीं है | उन्होने एसएलबीसी रिपोर्ट में दर्शाए हुये एसएचजी मे एनपीए के बढ़ते हुए प्रतिशत का जिक्र करते हुये बताया कि राज्य के प्रमुख बैंक जैसे पीएनबी , इंडियन बैंक एवं एसबीआई द्वारा एसएचजी ऋण में काफी एनपीए दर्शाया गया है | इस संबंध मे बताया गया कि रिपोर्ट के आधार पर कि जेएसएलपीएस को इन आकड़ों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है , साथ ही साथ बैंको को एसएलबीसी को डाटा प्रेषित करते समय विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है, जिससे इसकी विश्वसनीयता बनी रहे एवं राज्य के विकास के लिए सही नीति निर्धारण किया जा सके |

श्री दयाल ने बताया कि ज़रूरतमन्द क्षेत्रों को समय पर ऋण उपलब्ध कराना बैंकों की जिम्मेदारी है, एवम राज्य में क्रेडिट flow को बढ़ाने एवं ढाँचागत सुधार की दिशा मे राज्य को उचित कदम उठाने का अनुरोध किया। उन्होने कहा कि राज्य में कृषि क्षेत्र में ऋण उपलब्ध कराने क़े लिये Land रिकॉर्ड को उसके वर्तमान owner के नाम पर अपडेट करने तथा ऑनलाइन charge creation की सुविधा को अन्य राज्यों की भाँति झारखंड में भी शुरु करने की जरुरत है, जिससे कृषि क्षेत्र में बैंकों को ऋण देने में सुविधा हो सके। उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी से उत्पन्न बेरोजगारी एवम् मंदी की समस्या से निपटने के लिये कृषि क्षेत्र में अधिक से अधिक ऋण देने की आवश्यकता है।

श्री दयाल ने कुछ बैंकों द्वारा ATR रिपोर्ट बार-बार कहने के बावजूद नहीं देने पर खेद प्रकट किया। उन्होंने कहा कि एसएलबीसी की बैठक में जो निर्णय लिये जाते हैं, उन्हें सही तरीके सें लागू करने की जिम्मेदारी सभी बैंकों की हैं तथा यह निर्णय सभी बैंकों क़े राज्य प्रमुखों की उपस्थिति एवम् सहमति से लिये जाते हैं।उन्होंने बैंक ऑफ इंडिया को रिक्त पड़े पाँच FLC counceller में से तीन की नियुक्ति करने क़े लिये धन्यवाद दिया, साथ ही शेष बचे दो जिले- गिरिडीह एवम् बोकारो में FLC Conceller की अतिशीघ्र नियुक्त करने को कहा ।उन्होंने एसएलबीसी की डिजिटल सब-कमिटी की मीटिंग नहीं होने का जिक्र करते हुये बताया कि बैठक को तय समय पर कराने को कहा। उन्होने राज्य में महत्वाकांछी ज़िला- ईस्ट सिंघ्भुम को पूर्णत: डिजिटल बनाने हेतु सभी बैंकों को समय सीमा के अंतर्गत(31.10.2020) कार्य करने को कहा।

श्री दयाल ने सिक्किम की भाँति राज्य में आर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिये नाबार्ड एवम् राज्य कृषि विभाग से उचित दिशा-निर्देश जारी करने हेतु अनुरोध किया साथ ही उन्होंने एसएलबीसी को भी इस दिशा में सभी स्टेक होल्डर से मिलकर प्रयास करने को कहा। उन्होंने राज्य मे आठ uncovered villages का ज़िक्र करते हुए बताया कि इन जगहों पर 30 अगस्त से पहले बैंकिंग आउटलेट से कवर किया जाना चाहिए साथ ही साथ SLBC द्वारा शत्-प्रतिशत Coverage का certificate भी आरबीआई को प्रेषण करना है।

इसके पश्चात विशेष सचिव, योजना एवं वित्त विभाग श्रीमति दीप्ति जयराज को बैठक को संबोधित करने हेतु अनुरोध किया गया। उन्होंने सर्वप्रथम सभा को राज्य में डिजिटल e-stamping प्रणाली को NSDL एवम् Stock Holding Corporation of India Ltd के माध्यम से शुरु किये जाने की सूचना दी । उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश में बैंकों को ऋण वितरण में काफी सुविधा होगी।उन्होंने राज्य में आत्मनिर्भर भारत योजना की प्रगति का जिक्र करते हुये बताया कि इस क्षेत्र अभी भी बहुत कार्य करने की आवश्यकता हैं । उन्होंने राज्य के 5 लाख PM किसान लाभुको, जिन्हे किसान क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ अभी तक नहीं मिला हैं, उन्हें जल्द-से-जल्द KCC कार्ड प्रदान करने की अपील की गयी । इस विषय की प्रगति की समीक्षा लिये जिला स्तर पर District Level Committee के माध्यम से की जानी चाहिए ताकि अगली एसएलबीसी की बैठक से पहले इन सभी किसानों को KCC योजना से लाभान्वित किया जा सके।

State Level Bankers' Committee BOI Jharkhand

विशेष सचिव, महोदया ने कहा कि विभिन्न बैंकों में लंबित क्रेडिट लिमिट 10 लाख से 20 लाख बढ़ाने के लिये वैसे SHG आवेदनों को जो ऋण अदायगी की क्षमता रखते हैं उनका निपटारा करने की जरूरत है, जिससे इसकी pendency को खत्म किया जा सके। उन्होंने राज्य के 37,000 Identified street vendors को भारत सरकार के PM SVANidhi योजना के अंतर्गत रु 10000/- तक का ऋण देने के लिये विभिन्न बैंकों में लंबित आवेदनों का जिक्र करते हुये उन्हें जल्द-से-जल्द निपटारा करने को कहा । उन्होंने सभा को जानकारी देते हुये बताया कि इस योजना में ऋण वितरण हेतु राज्य सरकार द्वारा स्टाम्प ड्यूटी को घटाने हेतु विचार किया जा रहा है। अंत में उन्होंने एसएलबीसी टीम को एसएलबीसी की सभी सब-कमिटी की बैठक करते हुये एसएलबीसी की बैठक तय समय पर करने के लिये धन्यवाद दिया ।

इस संबोधन के पश्चात डॉ मदनेश कुमार मिश्रा,संयुक्त सचिव,DFS,भारत सरकार को दिल्ली से विडियो कॉन्फ्रेंसिग द्वारा सम्बोधन के लिए आमंत्रित किया गया। उन्होने सर्वप्रथम झारखंड स्टेट को- Operative बैंक के कर्मचारी की कोरोना से हुई मृत्यु पर दुख व्यक्त करते हुये उम्मीद जताई कि उनके परिवार को उपयुक्त आर्थिक मदद राज्य सरकार एवम् बैंक से जरूर मिली होगी।यदि ऐसा नहीं है तो एसएलबीसी को इस विषय का संज्ञान लेना चाहिये। उन्होंने कोरोना महामारी की इस विषम परिस्थिति में भी देश में 90% बैंक की शाखाओ तथा एटीएम के कार्य करने के लिये सभी बैंको के प्रमुखों तथा एलडीएम को धन्यवाद दिया।

डॉ मिश्रा ने बताया कि एसएलबीसी की रिपोर्ट के अनुसार इस वित्तिय वर्ष 2020-21 के प्रथम तिमाही में KCC, शिक्षा ऋण एवम् MSME में अच्छा कार्य हुआ है किंतु अभी भी काफी कार्य करने की जरूरत है । उन्होंने बताया कि राज्य का सीडी रेशिओ का स्तर लगातार नीचे गिर रहा है , साथ ही साथ कृषि ऋण, MSME सेक्टर Education लोन आदि में भी अपेक्षाकृत प्रदर्शन नहीं हो पा रहा है । उन्होंने सभी बैंकों से एसएलबीसी की बैठक को गंभीरता से लेने की बात कही। उन्होंने राज्य सरकार को राज्य में e-Stamping लागू करने के विषय पर राज्य सरकार को बधाई दिया । साथ ही उन्होने बताया कि भारत सरकार पूरे देश में डिजिटल e-stamping की व्यवस्था लागू करने पर विचार कर रही है ।

डॉ मदनेश कुमार मिश्रा ने एसएलबीसी की बैठक में राज्य सरकार के प्रतिनिधियों की घटती संख्या पर चिता जाहिर की तथा राज्य सरकार से अनुरोध किया कि आगामी एसएलबीसी की बैठक से संबन्धित विभागों के सचिवों की उपस्थिति का प्रयास किया जाना चाहिए ताकि बैठक को सार्थक बनाया जा सके।

उन्होंने आगे बताया कि झारखंड ने प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत ECLGS में काफी अच्छा कार्य किया है एवम् लक्ष्य प्राप्ति के बहुत करीब है । PM SVANidhi योजना में राज्य सरकार को अपने सभी जिलों में DC के माध्यम से अधिक से अधिक Street Vendors identify करने चाहिये तथा उनका आवेदन संग्रह करना चाहिये। यह योजना राज्य के Street Vendors के लिये काफी लाभदायक है तथा यह योजना हमारे प्रधानमंत्री जी की महत्वपूर्ण योजना है । उन्होने राज्य के सभी Uncovered Villages को ससमय बैंकिंग आउटलेट से जोड़ने की बात कही।

डॉ मिश्रा ने आगे बताया कि सभी बैंकों को अपने CBS पोर्टल से एसएलबीसी को डेटा प्रदान चाहिये जिससे कि डेटा की विश्वसनीयता पर कोई प्रश्नचिन्ह न लगे। एसएलबीसी को Physical डाटा सिर्फ उन योजनाओ का ही लेना चाहिए जो डेटा सीबीएस पोर्टल पर उपलब्ध नहीं है। उन्होंने महाप्रबंधक एसएलबीसी, झारखण्ड को अगली त्रैमासिक बैठक सीबीएस पोर्टल पर प्राप्त आँकड़ो के आधार पर करने का आग्रह किया।

डॉ मिश्रा ने आगे बताया कि राज्य में सभी बैंकों को कृषि ऋण के क्षेत्र पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है । राज्य में इस वर्ष मानसून काफी अच्छा रहा है। अत: बैंकों के लिये एग्रीकल्चर क्रेडिट को बढ़ाने का अच्छा मै का है । डॉ मिश्रा ने RBI,महाप्रबंधक के द्वारा बताई बातों का समर्थन करते हुये झारखण्ड राज्य में सिक्किम की तर्ज पर ओर्गनिक खेती को बढ़ावा देने हेतु दिये सुझाओ पर विचार करने की बात काही तथा सभी बैंकों को Viable Organic Farming Projects को बढ़ावा देने का आग्रह किया। उन्होंने इस संबंध में राज्य के लिए मॉडल तैयार करने के साथ साथ इसे विकसित करने तथा समय सीमा भी तय करने की भी बात कही । उन्होंने एसएलबीसी की अगले बैठक में इस विषय पर हुई प्रगति की विस्तृत रिपोर्ट देने को कहा।

व्यवसाय सत्र :

05 जून 2020 को 71 वी. SLBC की बैठक मे प्रस्तुत सभी agenda Items की इस सभा मे सभी स्टेक होल्डेर्स के द्वारा संपुष्टि की गयी।

राज्य सरकार से संबन्धित मामले

23.05.2019 ,को मुख्य सचिव की अध्यक्षता मे हुए बैठक मे संविदा पर नीलाम पत्र पदाधिकारियों की नियुक्ति संबंधी निर्देश दिये गए है। उक्त निर्देश के आलोक मे सभी ज़िलों मे लंबित नीलाम पत्रो की संख्या के अनुसार नीलाम पत्र पदाधिकारियों एवं अन्य कर्मियों (संदेशवाहक,पेशकार-सह-कम्प्युटर ऑपरेटर) की संविदा पर नियुक्ति एवं उनपर होने वाले अनुमानित व्यय का आंकलन कर, संबन्धित प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है। प्राप्त जानकारी के अनुसार नीलामी पत्र पदाधिकारी की नियुक्ति के संबंध में विभाग द्वारा नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है| इसके लिए राज्य सरकार द्वारा नोटिफ़िकेशन भी जारी किया जा चुका है|

(एक्शन-राज्य सरकार)

Implementation of Digital E-Stamping facility on Bank Guarantees

IBA के दिशानिर्देश के आलोक मे **Digital E-Stamping facility on Bank Guarantees** को झारखंड राज्य मे लागू करने हेतु SLBC द्वारा राज्य सरकार के सचिव, Department of Land एवं Revenue को दिनांक 03.02.2020 को पत्र के माध्यम से सूचित किया गया था। राज्य सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार झारखंड सरकार, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा संचिका संख्या 13/नि.वि.(NESL)-11/2020-376/नि. दिनांक 31.07.2020 द्वारा राज्य में डिजिटल ई –स्टांपिंग की व्यवस्था लागू करने हेतु निर्देशित किया जा चुका है, किन्तु अभी तक सबंधित विभाग द्वारा इसकी विस्तृत कार्य-प्रणाली की जानकारी SLBC को नहीं दी गई है|

(एक्शन-राज्य सरकार)

सर्टिफिकेट केस के मामले

महाप्रबंधक SLBC ने Certificate केस का जिक्र करते हुए कहा जानकारी दी गयी है कि राज्य मे अभी भी certificate केस के मामले भिन्न कोर्ट मे लंबित है जिन पर तुरंत कार्यवाही की आवश्यकता है।IDRT केस की सीमा 10.00 लाख से बढ़ाकर 20.00 लाख कर दी गयी है जिससे सर्टिफिकेट केस के अंतर्गत 20.00 लाख तक के सभी ऋणों को Certificate officer के समक्ष पेश करना है ।सर्टिफिकेट केस एवं सरफेसी केस का जिक्र करते हुए जानकारी दी गयी कि राज्य में अभी भी 1,35,977 सर्टिफिकेट केस एवं 929 सरफेसी केस के मामले विभिन्न कोर्ट में लंबित है, जिन पर तुरंत कार्यवाही की आवश्यकता है | महाप्रबंधक SLBC ने राज्य सरकार से आग्रह किया है कि इस विषय पर सभी सर्टिफिकेट कार्यालय एवं जिला उपायुक्त को इस विषय के अनुपालन के संबंध में उचित दिशा निर्देश देने का आग्रह किया | इस संबंध में सभी बैंकों से अनुरोध किया गया कि वे अपने बैंक में लंबित सभी सर्टिफिकेट केस एवं सरफेसी केस की ऋणी के नामवर सूची एसएलबीसी को 31.08.2020 तक उपलब्ध कराये, जिससे उस लिस्ट को राज्य सरकार के पास उचित कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा सके|

(एक्शन-राज्य सरकार/सभी बैंक)

BC Certification

IBA के दिशा निर्देशों के अनुसार Commercial Banks एवं Payment Banks के बीसी Graded Certification की ज़रूरत है।वैसे सभी BC जिन्होने जुलाई 2019 के बाद BC OPERATION शुरु किया है, उन्हे 09 महीने के अंदर Certificate लेना है। BC रजिस्ट्री के साथ ट्रैकिंग सिस्टम जैसे BC का नाम,लोकेशन,ऑपरेशन एरिया इत्यादि के बारे मे IBA के दिशा निर्देशों के अनुसार अनुपालन करना है। सभी बैंकों द्वारा बताया गया कि IBA द्वारा इस संबंध में जारी दिशा निर्देशों का सभी बैंकों द्वारा अनुपालन किया जा रहा है |

(एक्शन – सभी बैंक/पेमेंट बैंक)

PMAY- प्रधान मंत्री आवास योजना के अंतर्गत लंबित आवेदनों की स्थिति

राज्य में PMAY-U योजना में बैंकों का प्रदर्शन अभी भी संतोषजनक नहीं है | शाखाओं में इसके लंबित पड़े पात्रता रखने वाले आवेदकों के आवेदनों पर समय पर विचार किया जाना है | साथ ही इसे स्वीकृत कर Subsidy का Claim सम्बंधित विभाग से निर्धारित समयसीमा पर कर लेना है | बैंकों ने बताया कि उन्होने अपनी सभी शाखाओं को PMAY-U योजना के अंतर्गत लंबित पड़े पात्रता रखने वाले आवेदकों के आवेदनों को शीघ्र निपटारा करने एवं पात्र सब्सिडी का क्लेम शीघ्र कर लेने का निर्देश दिया गया|

(एक्शन – सभी बैंक)

State Level Bankers' Committee BOI Jharkhand

कृषि मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा प्रायोजित केसीसी Saturation कैम्पेन में सभी Uncovered farmers को केसीसी प्रदान करने के विषय में

दिनांक 24.04.2020 को कृषि उप समिति की बैठक में पीएम किसान योजना के अंतर्गत सभी लाभूकों को केसीसी प्रदान करने हेतु Uncovered Farmers की जिलेवार सूची बनानी है | इस कार्य हेतु राज्य के सभी जिलों में DDC की अध्यक्षता में कमिटी का गठन किया जा चुका है | इस कमिटी के अन्य सदस्य एलडीएम , जिला कृषि पदाधिकारी एवं प्रमुख बैंक शामिल है| इस कमिटी द्वारा सभी स्टेकहोल्डेर्स के साथ विचार विमर्श कर जिले के सभी Uncovered कृषकों की सूची तैयार कर केसीसी ऋण स्वीकृत करना है | अभी तक सभी जिलों से प्राप्त सूची के अनुसार 5.23 लाख पीएम किसान केसीसी योजना से वंचित है | कृषि विभाग, झारखंड सरकार से अनुरोध है कि वे इस कार्य हेतु हमारे एलडीएम को सहयोग करें, जिससे जिलेवार Uncovered Farmers का आवेदन सृजित कर बैंकों में जमा हो सके, जिससे उन्हे केसीसी योजना से लाभान्वित किया जा सके |

(एक्शन-एलडीएम/ कृषि विभाग)

एफ़एलसीसी की नियुक्ति

02 ज़िले गिरिडीह तथा बोकारो मे FLC Counselor के पोस्ट खाली है जिन पर जल्द से जल्द नियुक्ति BOI को करनी है। RBI के Guidelines के अनुपालन मे सभी Rural Branches को महीने मे एक बार Financial Literacy Camp लगाना है।

(एक्शन-बीओआई/ सभी बैंक)

SLBC पोर्टल पर Standardized सिस्टम के तहत डाटा FLOW

इस संबंध मे सभी स्टेकहोल्डेर्स के साथ बैठक कर SLBC द्वारा बैंको को सूचित किया जा चुका है। RBI ने दिनांक 16 जनवरी 2020 को पत्र के माध्यम से सभी SLBC CONVENOR बैंको को इस विषय के आलोक मे उचित दिशा निर्देश दिया गया था। दिनांक 23.01.2020 को RBI ने ईमेल के द्वारा Block Codes की अद्यतन सूची प्रदान की । SLBC के द्वारा सभी बैंको को 263 Block की सूची ईमेल के माध्यम से उपलब्ध कराया गया है। RBI के निर्देशानुसार सभी Commercial बैंक,प्राइवेट बैंक,ग्रामीण बैंक,को-operative बैंक,Small finance बैंक को Standardized Data flow सिस्टम को develop करना है। इस कार्य की प्रगति की समीक्षा मोनिट्रिंग कमेटी द्वारा निरंतर अंतराल पर की जा रही है। इस संबंध में SLBC द्वारा सभी बैंको को LOGIN ID एवं पासवर्ड प्रदान किया जा चुका है। संयुक्त सचिव,वित्तीय सेवाये विभाग द्वारा सभी बैंकों को निर्देशित किया गया कि एसएलबीसी की अगली त्रैमासिक बैठक DATA FLOW सिस्टम के अंतर्गत ही किया जाए|

(एक्शन- सभी सदस्य बैंक)

PMEGP के अंतर्गत लंबित आवेदन की स्थिति

सभी बैंको से PMEGP schemes के तहत लंबित आवेदनों के अतिशीघ्र निष्पादन करने का आग्रह किया गया | साथ ही साथ PMEGP के अन्तर्गत मार्जिन मनी का क्लेम भी ससमय करने की आवश्यकता बतायी गयी।

(एक्शन – सभी बैंक/एलडीएम)

SHG / NRLM के अंतर्गत लंबित आवेदनों की स्थिति

JSLPS द्वारा प्राप्त जानकारी के आधार पर उपर्युक्त योजना के तहत 9500 से भी ज्यादा आवेदन विभिन्न शाखाओं में लंबित है, विशेष सचिव के द्वारा लंबित आवेदनों को शीघ्र निष्पादित करने का आग्रह किया गया। बैंकों को अपने सभी शाखाओं मे लंबित SHGs के आवेदनों का जल्द से जल्द निपटारा कर लेने का निर्देश दिया गया | इस विषय चर्चा के दौरान सभा द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि सभी लंबित आवेदनों का सर्वप्रथम बैंक-शाखाओं मे Reconciliation करें तथा 10 लाख से 20 लाख तक की सीमा के आवेदन तय समय मे निष्पादन करे | बैंको को आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार सभी लंबित आवेदनों को निष्पादित करने को कहा गया।

(एक्शन –सभी बैंक/एलडीएम/JSLPS)

State Level Bankers' Committee BOI Jharkhand

एरिया बेस्ड स्कीम

AREA BASED DEVELOPMENTS SHEME के संदर्भ मे सभी LDM को सुझाव दिया जाता है कि इस बारे मे और अधिक कार्य करने की ज़रूरत है। AREA BASED DEVELOPMENT SCHEME की जानकारी SLBC की वैबसाइट पर उपलब्ध करा दी गयी है। इस संबंध में जिले के सभी बैंकों को इसकी जानकारी विभिन्न बैठकों के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है| **(एक्शन –सभी एलडीएम)**

DLCC की बैठक

एलडीएम से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर मार्च,20 तिमाही की DLCC की बैठक केवल पाकुड़ जिला में नहीं हो पायी है | पाकुड़ एलडीएम से DLCC की बैठक तुरंत करने को कहा गया | डीएफ़एस से संयुक्त सचिव श्री मदनेश मिश्रा द्वारा पाकुड़ जिला में डीएलसीसी की बैठक समय पर नहीं होने पर नाराजगी व्यक्त किया गया | **(एक्शन –एलडीएम पाकुड़)**

राज्य सरकार द्वारा KCC खातों में 3% अतिरिक्त Interest Subvention

राज्य सरकार के द्वारा इस वित्तीय वर्ष में भी केसीसी खातों में 3% Interest Subvention दिया जा रहा है | सभी बैंकों को यह क्लेम राज्य के Co-Operative बैंक के करना है | झारखंड राज्य Co-Operative बैंक से प्राप्त अद्यतन जानकारी के अनुसार 09 बैंकों ने वर्ष 2017-18 के लिए क्लेम किया था, जिसमें से 07 बैंकों को 1.55 करोड़ का क्लेम दिया जा चुका है | अन्य बैंकों से भी अनुरोध है कि राज्य सरकार द्वारा केसीसी खातों में 3% Interest Subvention के लाभ को ज्यादा से ज्यादा किसानों को मिल सके | बैंकों से प्राप्त जानकारी के अनुसार बैंकों द्वारा सभी पत्र किसानों को राज्य सरकार के माध्यम से केसीसी खातों मे 3% Interest Subvention claim दिलाने कि प्रक्रिया की जा रही है |

राज्य में घोषित सुखाड़ के तहत affected किसानों को Relief Measures प्रदान करना

झारखंड में सुखाड़ घोषणा के उपरांत सभी बैंक को अधिसूचना की प्रति 30-11-2018 को आरबीआई के संबन्धित circular के साथ एसएलबीसी द्वारा भेजी जा चुकी है। RBI के डेडिकेटेड पोर्टल पर हर महीने की 10 तारीख तक किसानों को जो Relief Measures MASTER DIRECTION के अनुसार दिए गए है उसके आंकड़े अपलोड करने है| सभी बैंक से आग्रह किया गया कि इस निर्देश का पालन करें। बैंकों से प्राप्त जानकारी के अनुसार RBI के dedicated पोर्टल में Relief Measures को RBI Master Direction के अनुसार हर महीने बैंकों के प्रधान कार्यालय द्वारा अपलोड किया जाता है | **(एक्शन – सभी बैंक)**

Deepening of Digital Payments के लिए SLBC sub-committee का गठन

आरबीआई के पत्र संख्या FIDD.CO.LBS.475/02.01.001/2019-20 दिनांक 27.08.2019 के आलोक में SLBC Convenor बैंक को SLBC Sub Committee on Digital Payments गठित करने को कहा गया था। इस संबंध में SLBC द्वारा सभी स्टेकहोल्डेर्स के साथ दिनांक 20.12.2019 को बैठक की गयी, जिसमें इस विषय पर विस्तृत परिचर्चा के उपरांत SLBC Sub-Committee का गठन किया जा चुका है । हालाँकि इस संबंध मे आरबीआई द्वारा SLBC को भविष्य के लिए रोड मैप तैयार करने सभी स्टेकहोल्डेर्स के साथ अविलंब बैठक का आयोजन करने को कहा गया।

(एक्शन – सभी बैंक/एलडीएम)

SLBC बैठकों में राज्य सरकार के प्रतिनिधियों की अनुपस्थिति

श्री मदनेश मिश्रा,संयुक्त सचिव द्वारा राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की त्रैमासिक बैठक में राज्य सरकार के प्रतिनिधियों की उपस्थिती की घटती संख्या पर चिंता प्रकट की गयी एवं आगामी बैठक मे उपस्थिती सुनिश्चित करने हेतु प्रयास करने कहा गया।

(एक्शन –राज्य सरकार)

RSETI

RBI क्षेत्रीय कार्यालय के महाप्रबंधक ने खूंटी, लोहरदगा, पूर्वी सिंघ्भुम के RSET Director के नियुक्ती पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता की बात कही थी एवं BOI द्वारा इस संबंध मे पूर्वी सिंघभूम जिले में RSETI डाइरेक्टर की पुनर्नियुक्ति हो चुकी है हालांकि शेष दो जिलों खूंटी एवं लोहरदगा में अभी तक DIRECTORS की पुनर्नियुक्ति प्रक्रियाधीन है | **(एक्शन – बीओआई)**

श्री राजीव कुमार,CEO,JSLPS: MoRD द्वारा पिछली एसएलबीसी बैठक में RSETI से ट्रेनिंग लिए पुराने प्रशिक्षणार्थीयों को भी ऋण उपलब्ध कराने के साथ ही प्रवासी मजदूरों को भी प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार से

State Level Bankers' Committee BOI Jharkhand

जोड़ने के लिए कहा गया था तथा बैंको से Creditlinkage के लिए लंबित आवेदन का जल्द निपटारा करना है इस संबंध मे सभी बैंको को ध्यान देने की आवश्यकता बतायी गयी।

(एक्शन – सभी बैंक/एलडीएम)

रामगढ़ RSETI का बैंक ऑफ़ इंडिया को हस्तांतरण की अनुमति मिल चुकी है,बैंक ऑफ़ इंडिया द्वारा हस्तांतरण प्रक्रिया को समाप्त करते हुए नए भवन का निर्माण अविलंब करना है |

(एक्शन – बीओआई)

LDMs के लिए Capacity Building प्रोग्राम

68 वीं SLBC की बैठक में सभी LDM के लिए तीनों अग्रणी बैंकों (इलाहाबाद बैंक, बीओआई एवं एसबीआई) द्वारा हर तिमाही में एक बार Capacity Building प्रोग्राम करने को कहा गया था। इस दिशा में पूर्व की दो तिमाही के दौरान बीओआई द्वारा Capacity Building प्रोग्राम का आयोजन किया जा चुका है । अन्य लीड बैंक एसबीआई एवं इलाहाबाद बैंक (अब, इंडियन बैंक) द्वारा मार्च तिमाही के दौरान एक-एक Capacity Building प्रोग्राम आयोजित करना था | एसबीआई द्वारा बताया गया कि कोरोना महामारी के कारण जून तिमाही मे आयोजन नहीं किया जा सका है |इस संबंध में आरबीआई द्वारा दोनों बैंकों के प्रतिनिधि से जल्द से जल्द Capacity Building प्रोग्राम करने को कहा गया, जिसपर उनके प्रतिनिधि द्वारा सहमति प्रदान किया गया |

(एक्शन – एसबीआई /इंडियन बैंक)

बैंको के विलय के कारण रिपोर्टिंग करने वाले संबन्धित बैंकों को निर्देश

एसएलबीसी द्वारा बताया गया कि 01, अप्रैल 2020 के बाद 06 बैंकों के विलय होने की स्थिति में एसएलबीसी तथा RBI को सभी प्रकार के रिपोर्ट जमा करने की जिम्मेवारी प्राधिकृत (Anchor) बैंक की होगी।

(सभी संबन्धित बैंक)

Doubling ऑफ Farmers Income by 2022

इस विषय के संबंध मे सभी बैंको को एकीकृत रूप से कार्य करने की आवश्यकता है। हालाँकि, कृषि के क्षेत्र मे ACP टारगेट 2019-20 के सापेक्ष वार्षिक उपलब्धि काफी निरासाजनक रही थी। सभी LDMs इस विषय पर Monitoring एवं Progress review के लिए NABARD द्वारा सुझाए Benchmark को ध्यान मे रखते हुए इस मुद्दे को वित्तीय वर्ष (2020-21) से हर DCC/DLRC की बैठक मे शामिल करना है तथा बैठक की कार्यवाही नाबार्ड /RBI /एसएलबीसी को प्रेषित करनी है। जून 2020 तिमाही की reporting 18 जिलो से अप्राप्त है।

(एक्शन – सभी एलडीएम)

विद्या लक्ष्मी पोर्टल

सभी बैंको के नियंत्रक प्रमुखों का इस ओर ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहा कि लंबित आवेदनों का शीघ्र निष्पादन किया जाए एवं बिना वैद्य कारणों के आवेदनों को अस्वीकृत नहीं करे। करे।विद्यालक्ष्मी पोर्टल से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस तिमाही मे सबसे अधिक आवेदन SBI, CBI, BOB, IDBI एवं HDFC बैंकों में लंबित थे, जिन्हें निष्पादन शीघ्र निष्पादन करने की जरूरत है ।

(एक्शन – सभी बैंक)

Uncovered Villages को Jan Dhan Darshak App पर अपलोड करना

दिनांक 31.07.2020 को डीएफ़एस द्वारा अद्यतन जानकारी के अनुसार झारखंड में 08 Villages अभी भी Uncovered पाये गए| अग्रणी जिला प्रबन्धकों/SLBC द्वारा बैंकिंग आउटलेट स्थापित करने के संबंध में संबन्धित बैंकों को सूचित किया जा चुका है ।निम्न बैंकों को Uncovered लोकेशन बैंकिंग आउटलेटस से कवर करने के लिए आबंटित किया गया था:--1)एसबीआई:-- 05 2)CANARA Bank :-- 01 3) BOB :-- 02

एसबीआई द्वारा जानकारी दी गई कि साहेबगंज जिले के उनके सभी 5 Uncovered Villages बैंकिंग टच पॉइंट से जुड़ा है एवं उसे जन धन दर्शक पोर्टल पर अपडेट भी किया गया है | आरबीआई द्वारा बताया गया है कि सभी 08 uncovered villages को बैंकिंग आउटलेटस से कवर करते हुये शत-प्रतिशत कवरेज का सर्टिफिकेट 31.08.2020 तक RBI को प्रदान करना है |

(एक्शन – सभी संबन्धित बैंक)

State Level Bankers' Committee BOI Jharkhand

विविध कार्यसूची

1. **CD ratio** :- राज्य के 18 जिलों में ऋण जमा अनुपात 40% से कम रहा है ।जिले के DCC/DLRC के अंतर्गत सीडी ratio के Sub-Committee में इसकी चर्चा की जानी चाहिए। CD ratio से संबन्धित पिछले तिमाही का Monitorable action plan केवल 05 LDM के द्वारा SLBC को प्रेषित किया गया था। इस संबंध मे वैसे सभी ज़िले, जिनका सीडी रेशियो 40% से कम है ,उनके LDM को ज़िले का Monitorable action plan SLBC को सितम्बर माह केअंत तक प्रेषित करना है।

   (एक्शन-सभी LDMs)

2. **Scale of Finance Animal Husbandry एवं Fisheries एक्टिविटी हेतु :-** वर्ष 2020-21 के लिए फसल ऋण, पशुपालन एवं मत्स्य पालन हेतु स्केल ऑफ फ़ाइनेंस का निर्धारण जिलास्तर पर DLTC द्वारा सभी जिलों में निर्धारित किया जा चुका है। एसएलबीसी की सब-कमेटी की बैठक में चर्चा के द्वारा के दौरान नाबार्ड द्वारा बताया कि पशुपालन एवं मत्स्य पालन हेतु स्केल ऑफ फ़ाइनेंस के निर्धारण में कुछ त्रुटियां पाई गई थी, जबकि फसल ऋण का निर्धारण सही पाया गया। Animal Husbandry एवं Fisheries activity हेतु स्केल ऑफ फ़ाइनेंस का निर्धारण केवल working capital factor के लिए होना चाहिए। इस संबंध में जिला स्तर पर DLTC द्वारा Animal Husbandry एवं Fisheries activity हेतु स्केल ऑफ फ़ाइनेंस का पुन: निर्धारण करते हुये नाबार्ड द्वारा अनुमोदित कर सभी स्टेक होल्डेर्स को सूचित किया जा चुका है | इसी संदर्भ में यह निर्णय लिया गया कि अगली वित्तीय वर्ष के आरंभ से पूर्व ही स्केल ऑफ फ़ाइनेंस का निर्धारण जिलास्तर पर DLTC एवं राज्य स्तर पर STLC द्वारा अनुमोदित कर लिया जाए|

   (एक्शन-सभी LDMs/राज्य सरकार/NABARD)

3. **पीएम किसान लभूकों के uncovered farmers की सूची :--** दिनांक 24.04.2020 को कृषि उप समिति की बैठक में पीएम किसान योजना के अंतर्गत सभी लाभूकों को केसीसी प्रदान करने हेतु Uncovered Farmers की जिलेवार सूची बनानी थी | इस कार्य हेतु राज्य के सभी जिलों में DDC की अध्यक्षता में कमिटी का गठन किया जा चुका है | इस कमिटी के अन्य सदस्य एलडीएम , जिला कृषि पदाधिकारी एवं सभी प्रमुख बैंक हैं| प्राप्त आंकड़ों के अनुसार सभी एलडीएम के द्वारा कुल 5.23 लाख uncovered फार्मर्स की संख्या बतायी गयी है ,अभी तक 23 जिलों से सूची प्राप्त हो चुकी है | केवल पाकुड़ जिले की सूची अप्राप्त है। कृषि विभाग, झारखंड सरकार से अनुरोध किया गया कि Uncovered फार्मर्स के KCC ऋण हेतु एप्लिकेशन Sourcing मे बैंको तथा एलडीएम को सहयोग करें, जिससे जिलेवार Uncovered Farmers को बैंको द्वारा तय समय मे केसीसी उपलब्ध कराया जा सके |

   (एक्शन-एलडीएम पाकुड़/बैंक/राज्य सरकार)

4. **डेरी किसानों को स्पेशल ड्राइव के माध्यम से animal Husbandry एवं Fishery के लिए केसीसी :-** केंद्र सरकार, **Department of Animal Husdandry & Fisheries** द्वारा 01.06.2020 से देश के सभी डेरी कॉ-ओपरेटिव को दूध की आपूर्ति करने वाले निबंधित किसानों को स्पेशल ड्राइव चलाकर केसीसी प्रदान करने की योजना है । यह योजना भारत सरकार की आत्मनिर्भर भारत अभियान का एक हिस्सा है। इस संबंध में राज्य के झारखंड राज्य मिल्क फ़ैडरेशन, झारखंड डेरी विभाग तथा झारखंड मत्स्य विभाग द्वारा आवेदन सृजित किया जा रहा है, जिसे संबन्धित बैंको द्वारा आवेदन प्राप्ति के सात दिनों के अंदर केसीसी ऋण स्वीकृत किया जाना है, किन्तु उचित संख्या में आवेदन सृजित होने के बावजूद बैंकों द्वारा इस योजना के अंतर्गत ऋण स्वीकृत बहुत कम है | सभा में डेरी केसीसी पर चर्चा के दौरान यह बताया गया कि चूकी इस योजना के तहत किसानों को working कैपिटल मवेशी पालन के लिए दिये जाने हैं अतः बैंकों द्वारा Cattle (पशु) के बीमा करना ऋण स्वीकृति केलिए Pre-Condition नहीं होना चाहिए, इस मुद्दे के साथ-साथ अन्य सभी मुद्दों के समाधान हेतु इस योजना से संबन्धित सभी स्टेक होल्डेर्स जैसे –राज्य स्तरीय सभी बैंक नियंत्रक , एसएलबीसी , नाबार्ड , आरबीआई एवं राज्य सरकार कृषि विभाग के साथ एक अलग बैठक किया जाएगा , जिससे विभिन्न बैंकों में लंबित डेरी एवं फिशेरी के आवेदनों को स्वीकृती में तेजी आ सके |

   (एक्शन-सभी एलडीएम/बैंक)

5. **Uncovered Villages को Jan Dhan Darshak App पर अपलोड करना**

   वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा 31.07.2020 को दिये गए अद्यतन जानकारी के अनुसार राज्य के 08 गांव अभी भी Uncovered पाये गए है, जिसमें एसबीआई -5, बैंक ऑफ बड़ौदा-2 एवं केनरा बैंक -1 को आबंटित किया गया है | संबन्धित बैंकों को गाँवो में बैंकिंग आउटलेट द्वारा कवर करने के लिए कहा गया है। सभी बैंकों को डीएफ़एस ने निर्देशित किया है कि 31 अगस्त 2020 तक आवंटित गांव को

State Level Bankers' Committee BOI Jharkhand

बैंकिंग आउटलेट से कवर कर लिया जाए। इस संबंध में सभी संबंधित बैंकों को गाँवों को कवर करने वाले बैंकिंग आउटलेट्स एवं गांव का विवरण तथा Longitude /LATITUDE जन धन दर्शक जीआईएस वेब पोर्टल पर अपडेट करने की जिम्मेदारी दी गई है।

(एक्शन-सभी संबन्धितबैंक/एलडीएम)

6. **पौंजी योजनाये/असंगठित निकायों,फ़र्म / कम्पनियों की अवैध गतिविधिया**- इस संबंध मे RBI DGM ने बताया कि ऐसी घटनाओ की जानकारी मिलने पर उसका Modus operandi SLBC को प्रेषित करना चाहिए जिससे कि संबन्धित घटना को SLBC बुक मे प्रकाशित किया जा सके।

(एक्शन-सभी बैंक/एलडीएम)

7. **Digital ज़िला चिन्हित करना**- RBI के Governor की 19 जुलाई 2019 को PSBs के MD/ED के साथ बैठक हुई थी। श्री नन्दन नीलकनी की अध्यक्षता मे गठित Committee on Deepening of Digital Payments के रिपोर्ट तथा RBI के पेमेंट System Vision Documents 2021 के आधार पर गवर्नर RBI ने सभी राज्य के LEAD BANK को राज्य के एक ज़िले को चुनाव कर उस ज़िले को एक वर्ष की समय सीमा मे पूर्ण डिजिटल करने का लक्ष्य दिया गया है। बैंक ऑफ इंडिया एवं SLBC ने पूर्वी सिंघभूम ज़िले को इस योजना के लिए चयन किया है। इस प्रक्रिया मे बैंक ऑफ इंडिया के अलावा ज़िले के सभी बैंक,पेमेंट बैंक, राज्य सरकार का सहयोग अपेक्षित है। एलडीएम पूर्वी सिंघभूम के देखरेख मे इस योजना को पूरा करना है। इस संबंध मे वित्त विभाग द्वारा ज़िले को निर्देश दिया जा चुका है। SLBC द्वारा सभी बैंको तथा MFIN कंपनियो से अनुरोध किया गया कि आरबीआई के दिशा निर्देशो के अनुसार यह लक्ष्य 1 October, 2020 से पहले हर हाल मे हासिल करने का प्रयास करें।

(एक्शन-सभी बैंक,ज़िला प्रशासन/संबन्धितLDM)

8. **Less cash / डिजिटल बैंकिंग**- राज्य मे less cash तथा डिजिटल बैंकिंग के क्षेत्र मे और अधिक कार्य करने की आवश्यकता है।POS मशीन के क्षेत्र मे और भी ज्यादा बढ़ावा देने की ज़रूरत है। Rupay card एक्टिवेशन के क्षेत्र मे काफी धीमा कार्य हुआ है इस विषय पर भी सभी बैंको को ध्यान देने की आवश्यकता है। Rupay Card डिस्ट्रिब्यूशन के समय ही एक्टिवेशन को सुनिश्चित करने से digital transaction को बढ़ावा दिया जा सकता है।

(एक्शन-सभी बैंक)

9. **National Bamboo Mission**- भारत सरकार द्वारा 2018-19 के दौरान पुनः संरचित राष्ट्रीय बाँस मिशन की शुरुवात की गयी। नाबार्ड के द्वारा इस विषय मे एक कार्यशाला आयोजित की गयी थी। सभी बैंको को इस Mission को झारखंड राज्य मे सफलीभूत करने के लिए ऋण प्रवाह करने की आवश्यकता है।

(एक्शन-सभी बैंक/NABARD)

10. **RURAL HOUSING INTEREST SUBSIDY स्कीम: एसएलबीसी की पिछली त्रैमासिक बैठक मे** National Housing Bank (एनएचबी) के द्वारा बताया गया था कि ग्रामीण क्षेत्रों मे Housing लोन के लिए Interest subsidy की व्यवस्था है जो कि Ministry of Rural Development (MoRD) के द्वारा Monitoring किया जा रहा है। COVID-19 के दौरान बाहुतायत मे Migrant labourer का झारखंड मे आगमन हुआ है अतः सभी बैंको से अनुरोध किया गया कि इस स्कीम का ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार कर Rural Housing मे interest subsidy प्रदान करें। NHB को इस स्कीम के लिए नोडल agency बनाया गया है। विस्तृत जानकारी के लिए NHB से संपर्क किया जा सकता है।

(एक्शन-सभी बैंक/LDM)

(स्वीन्द्र कुमार दास)
महाप्रबंधक,रा. स्त. बै. सं.

****